विभाग का नाम : मत्स्य पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश |

योजना /स्कीम का नाम : बचत एवम राहत योजना

1.	योजना /स्कीम का संचालन (केन्द्र अथवा राज्य प्रायोजित)	नील क्रांति केन्द्रीय क्षेत्र योजना: मात्स्यिकी एकीकृत विकास व प्रबंधन
2.	उदेश्य एवम विशेषता	राज्य के जलाशयों में कार्यरत मछुआरों को दो माह के वर्जित काल दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करना|
3.	पात्रता	1. लाभार्थी पूर्णकालिक सक्रिय मछुआरा होना चाहिये | 2. लाभार्थी किसी कार्यशील मत्स्य सहकारी सभा/फेडरेशन/पंजीकृत इकाई का सदस्य होना चाहिये | 3. लाभार्थी की आयु 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिये| 4. लाभार्थी को मछली पकडने वाले 10 माह तक रु० 100/- प्रति माह (रू० 1000 का वार्षिक)का योगदान देना होगा	राज्य सरकार, केंद्र सरकार व लाभार्थी से रू० 3000/- की एकत्रित राशी पात्र मछुआरों को दो माह के वर्जित काल के समय दो किस्तों में प्रदान की जाती है	
4.	सहायता का ब्योरा	रू० 2000/- (रू० 400/- राज्य भाग + रू० 1600/- केंद्र भाग)
5.	सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है ? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है ?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रिय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है| आवेदन की प्रति विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है|
6.	वांछित दस्तावेज़	राज्य के जलाशयों की मत्स्य सहकारी सभाओं से पूर्णकालिक मछुआरों का पूर्ण विवरण व 10 माह का वित्तीय योगदान	
7.	आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी		अनुलग्नक-I के अनुसार

विभाग का नाम : मत्स्य पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश |

योजना /स्कीम का नाम : दुर्घटना बीमा योजना (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पद्धति पर)

1.	योजना /स्कीम का संचालन (केन्द्र अथवा राज्य प्रायोजित)	नील क्रांति केन्द्रीय क्षेत्र योजना: मात्स्यिकी एकीकृत विकास व प्रबंधन
2.	उदेश्य एवम विशेषता	राज्य के सभी मछुआरो व मत्स्य पालकों को निशुल्क बीमा कवच प्रदान करना	
3.	पात्रता	1. राज्य के सभी सक्रीय मछुआरो व मत्स्य पालक निशुल्क बीमा योजना में पात्र हैं	मछुआरा / मत्स्य पालक मृत्यु अथवा स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर रू० 2.00 लाख की राशी हेतु बीमित है| आंशिक अपंगता में रू० 1.00 लाख की राशी हेतु बीमित है तथा दुर्घटना होने पर रू० 10,000/- उपचार (Hospitalization expenses) हेतु दिए जाएंगे | 2. बीमा कवच 12 माह के लिये होगा | 3. बीमा योजना फिश को-फेड के माध्यम से लागू की जायेगी	
4.	सहायता का ब्योरा	100 %
5.	सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है ? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है ?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रिय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है| आवेदन की प्रति विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है|
6.	वांछित दस्तावेज़	आधार नंबर, बैंक खाता विवरण (आई. ऍफ़. एस. सी. कोड सहित), मोबाइल नंबर, नामांकित व्यक्ति का नाम व् सम्बन्ध व अन्य विवरण|
7.	आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी		अनुलग्नक-I के अनुसार

विभाग का नाम : मत्स्य पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश

योजना /स्कीम का नाम : मछुआरों व मत्स्य पालकों हेतु प्रशिक्षण शिविर योजना

1.	योजना /स्कीम का संचालन (केन्द्र अथवा राज्य प्रायोजित)	नील क्रांति केन्द्रीय क्षेत्र योजना: मात्स्यिकी एकीकृत विकास व प्रबंधन
2.	उदेश्य एवम विशेषता	मछुआरों व मत्स्य पालकों के ज्ञानवर्धन व स्वरोजगार हेतु|
3.	पात्रता	समय समय पर मात्स्यिकी विभाग द्वारा मछुआरों व मत्स्य पालकों के ज्ञानवर्धनं हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है जिसकी जानकारी विभाग के अधिकारीयों से प्राप्त की जा सकती है | इस योजना में बेरोजगार व्यक्ति जो भविष्य में मत्स्य पालन अपनाना चाहता है वो भी पात्र है|
4.	सहायता का ब्योरा	100 %
5.	सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है ? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है ?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रिय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है| आवेदन की प्रति विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है|
6.	वांछित दस्तावेज़	आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अनुसूचित जाति/ जनजाति प्रमाण पत्र
7.	आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी		अनुलग्नक-I के अनुसार

विभाग का नाम : मत्स्य पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश

योजना /स्कीम का नाम : तालाब निर्माण हेतु सहायता योजना (स्लूस गेट, जलापूर्ति हेतु निर्माण कार्य तथा वायु संचारण, आहार भंडारण शाला इत्यादि के साथ)

1.	योजना /स्कीम का संचालन (केन्द्र अथवा राज्य प्रायोजित)	नील क्रांति केन्द्रीय क्षेत्र योजना: मात्स्यिकी एकीकृत विकास व प्रबंधन
2.	उदेश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व मत्स्य उत्पादन में बढोतरी|
3.	पात्रता	1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी मूल दस्तावेज (पर्चा व ततीमा) के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे| भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी| 2. निर्मित तालाब की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये| प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल की ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को प्रति सदस्य 2 हेक्टेयर तथा अधिकतम 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वित्तिय सहायता प्रदान की जायेगी | परियोजना रिपोर्ट केवल मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी|
4.	सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= रू० 7,00,000/- प्रति हेक्टेयर) सामान्य जाति 40%(रू० 2,80,000/-) प्रति हेक्टेयर की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति हेक्टेयर की दर से रू० 4,20,000/-अधिकतम सीमा|
5.	सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है ? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है ?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रिय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है| आवेदन की प्रति विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है|
6.	वांछित दस्तावेज़	ऋण मुक्त भूमि के मूल दस्तावेज़ (पर्चा व ततीमा), आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण आई एफ एस सी कोड सहित , पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, विभाग के साथ अनुबध, लाभार्थी द्वारा सपथ पत्र|
7.	आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी |	अनुलग्नक-I के अनुसार

विभाग का नाम : मत्स्य पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश

योजना /स्कीम का नाम : तालाब मुरम्मत, पुनरुधार हेतु सहायता योजना

1.	योजना /स्कीम का संचालन (केन्द्र अथवा राज्य प्रायोजित)	नील क्रांति केन्द्रीय क्षेत्र योजना: मात्स्यिकी एकीकृत विकास व प्रबंधन
2.	उदेश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व मत्स्य उत्पादन में बढोतरी
3.	पात्रता	1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेज (पर्चा/ततीमा) प्रस्तुत करने होंगे| 2. किसी भी मौजूदा तालाब को मुरम्मत हेतु निर्माण से 5 वर्ष की अवधि के उपरांत ही लिया जा सकता है| 3. गरीबी रेखा से नीचे रह रहे मछुआरो को वरीयता दी जायेगी| 4. प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को प्रति सदस्य 2 हेक्टेयर तथा अधिकतम 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सहायता प्रदान की जाएगी | 5. परियोजना रिपोर्ट केवल मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी|
4.	सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= रू० 3,50,000/- प्रति हेक्टेयर) सामान्य जाति 40 % रू० 1,40,000/- प्रति हेक्टेयर की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति हेक्टेयर की दर से रू० 2,10,000/- अधिकतम सीमा|
5.	सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है ? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है ?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रिय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है| आवेदन की प्रति विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है|
6.	वांछित दस्तावेज़	ऋण मुक्त भूमि के मूल दस्तावेज़(पर्चा व ततीमा), आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण आई एफ एस सी कोड सहित, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, विभाग के साथ अनुबध, लाभार्थी द्वारा सपथ पत्र |
7.	आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी |	अनुलग्नक-I के अनुसार

विभाग का नाम : मत्स्य पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश

योजना /स्कीम का नाम : रियरिंग तालाब निर्माण हेतु सहायता योजना

1.	योजना /स्कीम का संचालन (केन्द्र अथवा राज्य प्रायोजित)	नील क्रांति केन्द्रीय क्षेत्र योजना: मात्स्यिकी एकीकृत विकास व प्रबंधन
2.	उदेश्य एवम विशेषता	मत्स्य पालन में स्वरोजगार व राज्य के जल-स्त्रोतों में संग्रहण हेतु बड़े आकार की अन्गुलिकाऐ तैयार करना |
3.	पात्रता	1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे| 2. निर्मित तालाब की न्यूनतम 1.5 मीटर गहराई होनी चाहिये| प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहकारी सभाओं इत्यादि को प्रति सदस्य 2 हेक्टेयर तथा अधिकतम 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी | 3. परियोजना प्रस्ताव केवल मत्स्य पालन, विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी |
4.	सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= रू० 6,00,000/- प्रति हेक्टेयर) सामान्य जाति 40% रू० 2,40,000/- प्रति हेक्टेयर की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति हेक्टेयर की दर से रू० 3,60,000/- अधिकतम सीमा|
5.	सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है ? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है ?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रिय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है| आवेदन की प्रति विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है|
6.	वांछित दस्तावेज़	ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण आई एफ एस सी कोड सहित, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, विभाग के साथ अनुबध, लाभार्थी द्वारा सपथ पत्र |
7.	आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी |	अनुलग्नक-I के अनुसार

विभाग का नाम : मत्स्य पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश

योजना /स्कीम का नाम : प्रथम वर्षीय आदानो हेतु सहायता योजना (बीज, खुराक, खाद व परिवहन)

1.	योजना /स्कीम का संचालन (केन्द्र अथवा राज्य प्रायोजित)	नील क्रांति केन्द्रीय क्षेत्र योजना: मात्स्यिकी एकीकृत विकास व प्रबंधन
2.	उदेश्य एवम विशेषता	प्रथम वर्ष में मत्स्य पालकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु वित्तीय सहायता|
3.	पात्रता	1. केवल तालाब नव निर्माण, पुनरुधार व रियरिंग तालाबो के निर्माण के अंतर्गत लाभार्थी हेतु सहायता योजना 2. मत्स्य पालन निर्माण व मुरम्मत पर आदानो हेतु सहायता प्रदान की जायेगी| 3. आदानो हेतु सहायता केवल प्रथम वर्ष में ही दी जायेगी| 4. आदानो हेतु सहायता केवल तालाबों के पूर्ण रूप से मत्स्य पालन योग्य होने पर दी जाएगीं|
4.	सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत: 1,50,000 प्रति हेक्टयर) सामान्य जाति 40% रू० 60,000/- प्रति हेक्टेयर की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति हेक्टेयर की दर से रू० 90,000/- की अधिकतम सीमा|
5.	सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है ? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है ?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रिय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है| आवेदन की प्रति विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है|
6.	वांछित दस्तावेज़	पूर्ण प्रथम वर्षीय आदानो को क्रय करने की मूल रसीदे इत्यादि|
7.	आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी		अनुलग्नक-I के अनुसार

विभाग का नाम : मत्स्य पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश

योजना /स्कीम का नाम : कार्प हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना

1.	योजना /स्कीम का संचालन (केन्द्र अथवा राज्य प्रायोजित)	नील क्रांति केन्द्रीय क्षेत्र योजना: मात्स्यिकी एकीकृत विकास व प्रबंधन
2.	उदेश्य एवम विशेषता	कार्प बीज उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता|
3.	पात्रता	1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी मूल दस्तावेज (पर्चा व ततीमा) प्रस्तुत करने होंगे| 2. भूमि हेतु कोई भी वित्तिय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी| 3. परियोजना रिपोर्ट केवल मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी| 4. हैचरी में न्यूनतम 10 मिलियन (1 करोड़) फ्राई प्रति वर्ष उत्पादन होना चाहिये| 5. हैचरी में ब्रूडर तालाब, प्रजनन टैंक, नर्सरी तालाब, बिजली व पानी की छोटे आकार की प्रयोगशाला इत्यादि की सुबिधा होनी चाहिए| 6. हैचरी योग्य तकनीकी एवम योग्य स्टाफ द्वारा प्रबंधित होनी चाहिये| 7. लाभार्थी अन्य मत्स्य पालको को मत्स्य बीज उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें| 8. निर्माण उपरांत हैचरी का प्रबंधन व संचालन लाभार्थी अपने खर्च पर करेगा |
4.	सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत=रू० 25,00,000/- प्रति इकाई व 2 हेक्टेयर नरसरी तालाबों के निर्माण सहित) सामान्य जाति 40 % रू० 10, 00,000/- प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति हेक्टेयर की दर से रू० 15,00,000/- अधिकतम सीमा|
5.	सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है ? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है ?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रिय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है| आवेदन की प्रति विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है|
6.	वांछित दस्तावेज़	ऋण मुक्त भूमि के मूल दस्तावेज (पर्चा व ततीमा), आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार से जुडा हुआ बैंक खाता विवरण आई एफ एस सी कोड सहित, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, विभाग के साथ अनुबध, लाभार्थी द्वारा सपथ पत्र |
7.	आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी |	अनुलग्नक-I के अनुसार

विभाग का नाम : मत्स्य पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश

योजना /स्कीम का नाम : ट्राउट इकाई निर्माण हेतु सहायता योजना

1.	योजना /स्कीम का संचालन (केन्द्र अथवा राज्य प्रायोजित)	नील क्रांति केन्द्रीय क्षेत्र योजना: मात्स्यिकी एकीकृत विकास व प्रबंधन
2.	उदेश्य एवम विशेषता	ट्राउट पालन में स्वरोजगार वित्तीय सहायता व ट्राऊट उत्पादन में बढोतरी|
3.	पात्रता	1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी मूल दस्तावेज (पर्चा व ततीमा) प्रस्तुत करने होंगे| 2. भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की जायेगी| 3. प्रति लाभार्थी केवल 4 इकाईयों पर वित्तिय सहायता प्रदान की जायेगी| 4. सहकारी सभाओं हेतु अधिकतम 10 इकाईयों हेतु वित्तीयसहायता प्रदान की जायेगी|
4.	सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= रू० 2,00,000/- प्रति इकाई) 17m*2m*1.5m सामान्य जाति 40 % रू० 80,000/- प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति हेक्टेयर की दर से रू० 1,20,000/- अधिकतम सीमा|
5.	सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है ? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है ?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रिय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है| आवेदन की प्रति विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है|
6.	वांछित दस्तावेज़	ऋण मुक्त भूमि के मूल दस्तावेज (पर्चा व ततीमा), आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार से जुडा हुआ बैंक खाता विवरण आई एफ एस सी कोड सहित, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, विभाग के साथ अनुबध, लाभार्थी द्वारा सपथ पत्र	
7.	आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी		अनुलग्नक-I के अनुसार

विभाग का नाम : मत्स्य पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश

योजना /स्कीम का नाम : ट्राउट पालन के प्रथम वर्षीय आदानो (बीज, खुराक, व परिवहन) हेतु सहायता योजना

1.	योजना /स्कीम का संचालन (केन्द्र अथवा राज्य प्रायोजित)	नील क्रांति केन्द्रीय क्षेत्र योजना: मात्स्यिकी एकीकृत विकास व प्रबंधन
2.	उदेश्य एवम विशेषता	ट्राउट उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता|
3.	पात्रता	1. आदानो हेतु वित्तीय सहायता केवल नव निर्मित ट्राउट रेसवेज पर ही देय है| 2. आदानो हेतु वित्तिय सहायता केवल ट्राउट रेसवेज के पूर्ण रूप से मत्स्य पालन योग्य होने पर प्रथम वर्ष में ही दी जायेगी|
4.	सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत 2,50,000/-प्रति इकाई) सामान्य जाति 40 % रू० 1,00,000/- प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति हेक्टेयर की दर से रू० 1,50,000/- अधिकतम सीमा|
5.	सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है ? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है ?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रिय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है| आवेदन की प्रति विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है|
6.	वांछित दस्तावेज़	प्रथम वर्षीय आदानो को क्रय करने की मूल रसीदे इत्यादि|
7.	आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी		अनुलग्नक-I के अनुसार

विभाग का नाम : मत्स्य पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश

योजना /स्कीम का नाम : ट्राउट हैचरी निर्माण हेतु सहायता योजना

1.	योजना /स्कीम का संचालन (केन्द्र अथवा राज्य प्रायोजित)	नील क्रांति केन्द्रीय क्षेत्र योजना: मात्स्यिकी एकीकृत विकास व प्रबंधन
2.	उदेश्य एवम विशेषता	ट्राउट बीज उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना व राज्य में मत्स्य पालन में स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता|
3.	पात्रता	1. लाभार्थी को ऋण मुक्त भूमि के सभी दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे|भूमि हेतु कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी| 2. परियोजना रिपोर्ट केवल मत्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश की सिफारिश पर ही स्वीकार्य होगी| 3. हैचरी में न्यूनतम 2.00 लाख ट्राउट ओवा (अन्डे) प्रति वर्ष उत्पादन होना चाहिये| 4. हैचरी में हैचिंग ट्रफ व ट्रे, नर्सरी टैंक, स्टार्टर फीडर टैंक, बिजली व पानी इत्यादि की सुबिधा होनी चाहिए| 5. हैचरी तकनीकी एवम योग्य स्टाफ द्वारा प्रबंधित होना चाहिये| 6. लाभार्थी अन्य मत्स्य पालको को मत्स्य बीज उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें| 7. निर्माण उपरांत हैचरी का प्रजनन, प्रबंधन व संचालन लाभार्थी अपने खर्च पर करेगा |
4.	सहायता का ब्योरा	(इकाई लागत= रू० 25,00,000/- प्रति इकाई) सामान्य जाति 40% रू० 10, 00,000/- प्रति इकाई की अधिकतम सीमा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और उनकी सहकारी सभाओं के लिए 60% प्रति हेक्टेयर की दर से रू० 15,00,000/- अधिकतम सीमा|
5.	सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है ? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है ?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रिय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है| आवेदन की प्रति विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है|
6.	वांछित दस्तावेज़	ऋण मुक्त भूमि के मूल दस्तावेज (पर्चा व ततीमा), आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार से जुडा हुआ बैंक खाता विवरण आई एफ एस सी कोड सहित, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, विभाग के साथ अनुबध, लाभार्थी द्वारा सपथ पत्र |
7.	आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी |	अनुलग्नक-I के अनुसार

विभाग का नाम : मत्स्य पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश

योजना /स्कीम का नाम : गिल जाल आबंटन

1.	योजना /स्कीम का संचालन (केन्द्र अथवा राज्य प्रायोजित)	राज्य योजना
2.	उदेश्य एवम विशेषता	राज्य में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु जलाशय के सभी सक्रिय मछुआरो को मछली पकड़ने के लिए जाल आबंटित करना |
3.	पात्रता	लाभार्थी सहकारी सभा का सदस्य होना आवश्यक है|
4.	सहायता का ब्योरा	इकाई लागत = 10,000/- सामान्य जाति= 25%(2,500/-) अनुसूचित जाति/जनजाति= 50% (5,000/-)
5.	सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है ? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है ?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रिय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है| आवेदन की प्रति विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है|
6.	वांछित दस्तावेज़	जाति प्रमाण पत्र, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आवेदन पत्र
7.	आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी |	अनुलग्नक-I के अनुसार

विभाग का नाम : मत्स्य पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश

योजना /स्कीम का नाम : रिस्क फण्ड योजना

1.	योजना /स्कीम का संचालन (केन्द्र अथवा राज्य प्रायोजित)	राज्य योजना
2.	उदेश्य एवम विशेषता	जलाशय के मछुआरों को बाढ़ इत्यादि अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उनके मछली पकडने के उपकरणों को हुए नुकसान की आंशिक सहायता |
3.	पात्रता	1. लाभार्थी पूर्णकालिक सक्रिय मछुआरा होना चाहिये | 2. लाभार्थी किसी कार्यशील मत्स्य सहकारी सभा/फेडरेशन/पंजीकृत इकाई का सदस्य होना चाहिये | 3. मछुआरे द्वारा रिस्क फण्ड में वार्षिक 20/- रू० का योगदान अनियार्य है|
4.	सहायता का ब्योरा	सभी क्षतिग्रस्त उपकरणों का 50% (इकाई लागत- बोट 20,000/- रू०, जाल 2,000/- रू0, टेंट 5000/- रू० व तरपाल 2,000/- रू०)
5.	सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है ? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है ?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रिय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है| आवेदन की प्रति विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है|
6.	वांछित दस्तावेज़	क्षतिग्रस्त उपकरणों की क्षति पूर्ती हेतु फोटो सहित आवेदन पत्र|
7.	आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी |	अनुलग्नक-I के अनुसार

विभाग का नाम : मत्स्य पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश

योजना /स्कीम का नाम : अनुसूचित जाति बहुल्य गाँव में सामुदायिक तालाब निर्माण / पुनरुधार

1.	योजना /स्कीम का संचालन (केन्द्र अथवा राज्य प्रायोजित)	राज्य योजना
2.	उदेश्य एवम विशेषता	अनुसूचित जाति वर्ग को मत्स्य पालन से रोजगार प्रदान करना| मत्स्य उत्पादन में बढोतरी सामुदायिक तालाब को अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को पंचायत द्वारा पट्टे पर दिया जाता है|
3.	पात्रता	केवल अनुसूचित जाति बहुल्य गाँव/ पंचायत के लिए
4.	सहायता का ब्योरा	100% (अधिकतम रू० 1,00,000/-)
5.	सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है ? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है ?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रिय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है| आवेदन की प्रति विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है|
6.	वांछित दस्तावेज़	पंचायत प्रस्ताव, भूमि सम्बन्धित दस्तावेज़, पंचायत का आधार से जुड़ा बैंक खाता विवरण आई एफ एस सी कोड सहित, अनुमान पत्र |
7.	आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी |	अनुलग्नक-I के अनुसार

विभाग का नाम : मत्स्य पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश

योजना /स्कीम का नाम : प्रशिक्षण शिविर- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए

1.	योजना /स्कीम का संचालन (केन्द्र अथवा राज्य प्रायोजित)	राज्य योजना
2.	उदेश्य एवम विशेषता	अनुसूचित जाति वर्ग को मत्स्य पालन में स्वरोजगार हेतु एक दिवसीय जागरूकता शिविर|
3.	पात्रता	केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियो के लिए
4.	सहायता का ब्योरा	100%
5.	सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है ? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है ?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रिय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है| आवेदन की प्रति विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है|
6.	वांछित दस्तावेज़	पंचायत द्वारा प्रस्ताव, आवेदन पत्र
7.	आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी		अनुलग्नक-I के अनुसार

विभाग का नाम : मत्स्य पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश

योजना /स्कीम का नाम : जन जाति वर्ग के लिए मत्स्य पालन तालाब निर्माण

1.	योजना /स्कीम का संचालन (केन्द्र अथवा राज्य प्रायोजित)	राज्य योजना
2.	उदेश्य एवम विशेषता	हिमाचल प्रदेश में जन जातीय क्षेत्रों से बाहर रहने वाले जन जातीय वर्ग के लिए मत्स्य पालन तालाब निर्माणसहायता |
3.	पात्रता	केवल जन जाति वर्ग के व्यक्तियो के लिए
4.	सहायता का ब्योरा	न्यूनतम 500 वर्ग मीटर के तालाब हेतु रू० 25,500/- की वित्तिय सहायता|
5.	सहायता लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया- आवेदन की प्रति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है ? या किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है ?	आवेदन की प्रति मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रिय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है| आवेदन की प्रति विभाग की वेबसाइट hpfisheries.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है|
6.	वांछित दस्तावेज़	जन जातीय प्रमाण पत्र, ऋण मुक्त भूमि के दस्तावेज़, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता विवरण आई एफ एस सी कोड सहित, पटवारी व तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र, विभाग के साथ अनुबध, लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र |
7.	आवेदन जमा करने का स्थान व सम्पर्क सूत्र/ अधिकारी |	अनुलग्नक-I के अनुसार